



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052026-273010  
CG-DL-E-31052026-273010

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2599]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 2599]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2026

का.आ. 2692(अ).— पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्रीमती रितु हेमनानी, संयुक्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ सरकार को श्रीमती रितु हेमनानी, उप समाहर्ता के स्थान पर, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, दो वर्ष की अवधि के लिए, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/114/2021-जीपी-II (ई-40029)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th May, 2026

**S.O. 2692(E).**—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Smt. Ritu Hemnani, Joint Collector, Government of Chhattisgarh in place of Smt. Ritu Hemnani, Deputy Collector, Government of Chhattisgarh to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, on deputation basis, for a period of Two years, for all Natural Gas Pipeline Projects of M/s GAIL (India) Limited in the State of Chhattisgarh.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/ 114 / 2021 -GP-II (E- 40029)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.